न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर,
जिला शहडोल (म0प्र0)
(समक्ष सुश्री लघुता मरकाम)

निर्णय
(आज दिनांक 08.10.2025 को घोषित)

Registration No.	RCT/403/2022
Filing No.	1030/2022
CNR No.	1807-001264-2022
Filing Date	18-10-2022

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रवीण सिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. दामोदर विश्वकर्मा, पुत्र आत्माराम विश्वकर्मा, उम्र–26 वर्ष, निवासी भूरका, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0 2. भुपेन्द्र सिंह बघेल उर्फ राहुल पुत्र ओमप्रकाश सिंह, उम्र–27 वर्ष, निवीसी कनाड़ीखुर्द, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्त द्वारा श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	25.09.2022
आरोप पत्र की तिथि	18.10.2022

आरोपों के विरचना की तिथि	06.02.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	16.05.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	
निर्णय की तिथि	08.10.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि
1	दामोदर विश्वकर्मा, पुत्र आत्माराम विश्वकमा	41क का नोटिस		भादसं की धारा–379,414 एवं मोटर यान अधि0	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	

				की धारा–130(3) / 177			
2	भुपेन्द्र सिंह बघेल उर्फ राहुल पुत्र ओमप्रकाश सिंह	41क का नोटिस		भादसं की धारा–379,414 एवं मोटर यान अधि0 की धारा–130(3) / 177	–	–	

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

स. क्रं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1	रामबहोर मिश्रा	जप्ती साक्षी
2	अवध प्रसाद पाण्डे	विवेचक साक्षी
3	रामाधर चौधरी	जप्ती, मौका नक्शा साक्षी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की की सूची

स.क्रं.	प्रदर्श कमांक	विवरण
1	प्र.पी.1 / अ.सा.1	मैमोरेण्डम कथन
2	प्र.पी.2 / अ.सा.1	जप्तीपत्रक

3	प्र.पी.3 / अ.सा.1	मौका पंचनामा
4	प्र.पी.4 / अ.सा.1	पुलिस कथन(रामबहोर मिश्रा)
5	प्र.पी.5 / अ.सा.2	91 दंप्रसं का नोटिस
6	प्र.पी.6 / अ.सा.2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
7	प्र.पी.7 / अ.सा.2	41क दप्रसं का नोटिस
8	प्र.पी.8 / अ.सा.2	41क दप्रसं का नोटिस
9	प्र.पी.9 / अ.सा.2	91 दप्रसं का नोटिस
10	प्र.पी.10 / अ.सा.2	जवाब
11	प्र.पी.11 / अ.सा.3	पुलिस कथन(रामाधार चौधरी)

{आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक–526 / 2022 अंतर्गत धारा भादसं की धारा–379,414 एवं मोटर यान अधि0 की धारा–130(3) / 177, से उद्भूत यह नियमित दाण्डिक प्रकरण।}

निर्णय

दिनांक 08.10.2025

01. अभियुक्त दामोदर एवं भुपेन्द्र सिंह बघेल ने दिनांक 25.09.2022 को समय लगभग 14:30 बजे आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर मे कौआसरई तिराहा के पास हलफल नदी से बिना किसी अधिकार शुल्क अदा किए रेत को बेईमानीपूर्ण आाशय से हटाकर चोरी कारित की एवं उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में या इधर–उधर करने मे, स्वेच्छया सहायता किया या यह जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है एवं अभियुक्त भुपेन्द्र ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त दिनांक को वाहन ट्रैक्टर क0–एमपी 54 ए 7119 का

फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं रजिस्टेशन पेश नहीं किया, इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध भादसं की धारा 379,414 भादसं एवं मोटर व्हीकर एक्ट की धारा–130(3)/177, के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 25.09.22 दौरान गस्ते मुखबिर द्वारा सूचना मिली की हलफल नदी के पास एक वाहन अवैध रेत का उत्खनन कर रहा है। वहां जाकर देखा तो नदी के किनारे अभियुक्तगण अवैध रेत ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर रहे थे, जिनसे रेत लोड करने संबंधी दस्तावेज मांगे गए, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज न होना पाया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना जयसिंहनगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 526/2022 धारा धारा–379,414 एवं मोटर यान अधि0 की धारा–130(3)/177 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्ती पत्रक बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

03. अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका–1 में आरोपित अपराध कारित किए जाने से इंकार किया गया एवं रंजिशन झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया।

04. प्रकरण में दं0प्र0सं0 की धारा–313 के अन्तर्गत अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने यह बचाव लिये है कि वे निर्दोष हैं, उन्हे झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई बचाव साक्ष्य न देना

व्यक्त किया गया।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं –

1.	क्या, आरोपीगण ने दिनांक 25.09.2022 को समय लगभग 14:30 बजे आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर मे कौआसरई तिराहा के पास हलफल नदी से बिना किसी अधिकार शुल्क अदा किए रेत को बेईमानीपूर्ण आाशय से हटाकर चोरी कारित किया?
2.	क्या, अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में या इधर–उधर करने मे, स्वेच्छया सहायता किया या यह जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है?
3.	क्या, अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह बघेल ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त दिनांक को वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया?
4.	दोषमुक्ती या दण्डादेश?

06. उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों एक ही संव्यवहार से उद्भूत होकर, परस्पर एक–दूसरे से संबंधित होने से, साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य/तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से, एकसाथ निराकृत किये जा रहे हैं। आरोपित आरोपों से आरोपीगण का संबंध स्थापित करने के लिए अभियोजन की ओर से साक्षी रामबहोर मिश्रा (अ0सा01), विवेचक अवध प्रसाद पाण्डे (अ0सा02), रामाधार चौधरी (अ0सा03) की साक्ष्य कराई गई है, जिनकी साक्ष्य अभिलेख पर है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

की गई है।

<u>—:विचारणीय प्रश्नो की सकारण विवेचनाः—</u>

07. **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामबहोर मिश्रा (अ0सा01)</u>** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है, कि वह आरोपीगण को नहीं जानता पहचानता है। घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किए थे, किन्तु मैमोरेण्डम कथन प्र0पी0—1, जप्तीपत्रक प्र0पी0—2, घटना का मौका पंचनामा प्र0पी0—3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके कथन लेखबद्ध किए थे। प्रकरण में उक्त साक्षी ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होने संबंधी कथन किए है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने पुलिस कथनर प्र0पी0—4 देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

08. **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी रामाधार चौधरी (अ0सा03)</u>** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है, कि वह आरोपी को न जानता है न पहचानता है। घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु मैमोरेण्डम कथन प्र0प0ी—1, जप्तीपत्रक प्र0पी0—2 एवं घटना स्थल का मौका नक्शा प्र0पी0—3 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नही की थी न ही उसके कथन लेखबद्ध किए थे। प्रकरण में उक्त साक्षी ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होने संबंधी कथन किए हैं। प्रकरण में उक्त साक्षी

ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होने संबंधी कथन किए है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने पुलिस कथनर प्र0पी0–11 देने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

09. **अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी अवध प्रसाद पाण्डे (अ0सा02)** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है, कि वह दिनांक 25.09.2022 को थाना जयसिंहनगर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कस्बा भ्रमण दौरान् जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर वाहन का चालक अवैध रूप से ट्रैक्टर की ट्रॉली मे हलफल नदी से अवैध खनिज लोड कर कौआसरई तरफ जा रहा है, जो मुताबिक सूचना हमराह गवाह रामाधार चौधरी एवं रामबहोर मिश्रा के साथ रीवा शहडोल रोड कौआसरई तिराहा में जाकर घेराबंदी किया जो सुबह करीब 7:00 बजे एक बिना नंबर वाहन ट्रैक्टर रीवा–शहडोल रोड कौआसरई तिराहा में पहुॅचा, जिसे रोककर चेक किया गया, तो वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध कीमत लगभग 5000/–रूपये का लोड पाया गया। चालक का नाम पता पूछने पर वह अपना नाम दामोदर पिता आत्माराम विश्वकर्मा उम्र–22 वर्ष निवासी ग्राम भुरका का होना बताया, जिसे धारा 91 दं.प्र.सं. की नोटिस दिया, जो प्र.पी.–5 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं एवं वैध दस्तावेज की मॉग की तो आरोपी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, तब मौके पर ही आरोपी से उक्त साक्षियों के समक्ष पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.–1 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर

उसके हस्ताक्षर एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। मौके पर ही आरोपी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश न करने पर एक ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी.54ए/7119 ट्रैक्टर मय ट्रॉली जिसमें फुल बॉडी रेत लोड थी, जो उक्त साक्षियों के समक्ष जप्त किया था एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.–2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। मौके पर ही घ टना स्थल का नजरी नक्शा उक्त साक्षियों के समक्ष तैयार किया था, जो प्र.पी.–3 है, जिसके बी से बी एवं सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा– 379, 414 भादवि एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम एवं 130(3), 177 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना जयसिंहनगर के अपराध क्र0–526/22 धारा– 379, 414 भादवि एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम एवं 130(3), 177 मोटर व्हीकल एक्ट पंजीबद्ध किया था, जो प्र0पी0–6 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।उक्त दिनांक को साक्षीगण रामबहोर मिश्रा एवं रामाधार के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था जिसमें अपने मन से कुछ भी जोड़ा अथवा घटाया नहीं हैं। उक्त दिनांक को आरोपीगण को 41क द0प्र0सं0 का नोटिस दिया था जो प्र0पी0–7 एवं 8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरापीगण के हस्ताक्षर है।

10. **<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी अवध प्रसाद पाण्डे (अ0सा02)</u>** ने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 27.09.2022 को आरोपी भूपेन्द्र सिंह उर्फ राहूल को 91 दं0प्र0सं0 का नोटिस दिया था जो प्र0पी0–9 है, जिसके ए से ए भाग पर

उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी भूपेन्द्र के हस्ताक्षर है और पूछा था कि दिनांक 25.09.2022 को वाहन क्र0– एमपी 54 ए 7119 को कौन चला रहा था, आरोपी के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 25.09.2022 को वाहन क्र0–एमपी 54 ए 7119 को दामोदर विश्वकर्मा ग्राम भुरका का ट्रैक्टर ट्राली में रेत लोड कर ग्राम पंचायत कौआसरई मे अनलोड करने गया था का जवाब प्र0पी0–10 है, जिसक ए से ए भाग पर भूपेन्द्र के हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–4 मे यह व्यक्त किया है कि प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–3 में यह व्यक्त किया है कि उसने किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया है।उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–3 में यह व्यक्त किया है कि वाहन मे कोन सी चीज लोड हो रही थी उक्त संबंध में उसके द्वारा कोइ विडियाग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई। प्रकरण में विवेचक साक्षी के द्वारा मोटर व्हीकल के अपराध अभियुक्त द्वारा किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार विवेचक साक्षी की साक्ष्य भी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

11. प्रकरण में विवेचक साक्षी अवध प्रकाश पाण्डे अ0सा0–2 जो प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्षी है, ने अपने न्यायालयीन कथन में रोजनामचा सान्हा न प्रस्तुत करने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्तगण के द्वारा रेत को चोरी कर के ले जाया जा रहा था या भंडारन करने के लिए। प्रकरण में इसके अतिरिक्त प्रकरण में किसी भी खनिज अधिकारी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया है। प्रकरण के अन्य

साक्षी रामबहोर मिश्रा एवं रामाधार चौधरी ने आरोपियों के नाम की जानकारी न होने का कथन किया है। प्रकरण में विवेचक साक्षी के द्वारा रेत के संबंध में जांच भी नहीं बनाई गई है, वह कितनी रेत थी एवं कितनी मिट्‌टी। इसके अतिरिक्त प्रकरण के विवेचक के द्वारा अभियुक्त के पास वाहन के दस्तावेज, रजिस्ट्रशन वाहन चालक के पास लाइसेंस एवं फिटनेस न होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में विवेचक साक्षी मो0व्ही0 की धाराओं के संबंध में न्यायालयीन कथन में नहीं किए है, उनके द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह भी नहीं बताया गया है, कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन से दस्तावेज न होने पर कौन सी मोटर व्हीकल की धाराओं का ईजाफा किया गया है और इसके अतिरिक्त विवेचक साक्षी का समर्थन घटना के अन्य साक्षी रामबहोर मिश्रा (अ0सा01) रामाधार चौधरी (अ0सा02), के द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विरोधाभाषी एवं संदेहपूर्ण दर्शित होती है।

12. अतः उक्त साक्षियों की साक्ष्य से एवं विवेचना उपरांत परिणाम स्वरूप अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दामोदर एवं भुपेन्द्र सिंह बघेल ने दिनांक 25.09.2022 को समय लगभग 14:30 बजे आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर मे कौआसरई तिराहा के पास हलफल नदी से बिना किसी अधिकार शुल्क अदा किए रेत को बेईमानीपूर्ण आाशय से हटाकर चोरी कारित की हो एवं उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में या इधर–उधर करने मे, स्वेच्छया सहायता किया हो या यह

जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है एवं अभियुक्त भुपेन्द्र ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर उक्त दिनांक को वाहन ट्रैक्टर क्र0–एमपी 54 ए 7119 का फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं रजिस्टेशन पेश नहीं किया हो, जिससे संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है। **संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता और विधि का सिंद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।** अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध भादसं की धारा–379,414 एवं मोटर यान अधि0 की धारा–130(3)/177 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तः– **1. दामोदर विश्वकर्मा, पुत्र आत्माराम विश्वकर्मा, उम्र–26 वर्ष, निवासी भूरका, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0 2. भुपेन्द्र सिंह बघेल उर्फ राहुल पुत्र ओमप्रकाश सिंह, उम्र–27 वर्ष, निवीसी कनाड़ीखुर्द, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0** को दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

13. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन आइसर कंपनी का ट्रैक्टर मय ट्राली जिसका नंबर एमपी 54 ए 7119 मयं ट्राली मय दस्तावेज, उनके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगी में प्रदान किए जा चुके हैं। उपरोक्त सुपुर्दगी अपील अवधि पश्चात् उन्हीं के पक्ष में निरस्त मानी जावे।

14. अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

15. अभियुक्तगण अनु संधान तथा विचारण के दौरान निरोध में रहने के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा–428 के अधीन पृथक

से प्रमाण–पत्र बना कर अभिलेख में संलग्न किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(सुश्री लघुता मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

(सुश्री लघुता मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

LAGHUTA MARKAM

Digitally signed by LAGHUTA MARKAM